सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 298

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. भगवान सिंह पुत्र स्व.श्री लादूसिंह
2. हेमसिह पुत्र स्व.लादूसिंह
3. प्रभुसिंह पुत्र स्व.लादूसिंह
4. श्रीमति गुमानकंवर पत्नि स्व.श्री लादूसिह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पिपलाज तह.सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. लादू पुत्र स्व.नारायण
2. रामचन्द्र पुत्र स्व.काना
3. भंवरलाल पुत्र स्व. काना
4. छोटी पुत्री स्व. काना
5. मनभर पुत्री स्व. काना
6. प्रेम पुत्री स्व. काना
7. नोरती पुत्री स्व. काना
8. जगदीश पुत्र स्व. सोनाथ
9. रूपा पुत्री स्व. सोनाथ
10. समोदरा पुत्री स्व.सोनाथ
11. गलकू पुत्री स्व. सोनाथ
12. उच्छबा पुत्री स्व. सोनाथ
13. रामदेव पुत्र स्व. गंगाराम
14. सुन्दर पुत्री स्व. गंगाराम
15. उदी पुत्री स्व. गंगाराम

समस्त जाति कुमावत निवासीगण हुणों का खेडा तहसील सावर जिला अजमेर राज.

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,209राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 4.6.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प पिपलाज में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 75 के खसरा नम्बर 2139, 2159, 2160, कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 है. जर्ये नामा. 1442 दिनांक 24.5.2016 के अनुसार दर्ज खातेदार है। ग्राम पिपलाज की खतोनी जमाबन्दी फसल सम्वत 1359 के खाता स. 578 के खसरानम्बर 1059 रकबा 3–10–00 बीघा , खसरा नम्बर स. 1060रकबा 3–01–00बीघा कुल रकबा 7–13–00 बीधा वादीगण के दादाजी माधोसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह कौम राजपूत निवासी ग्राम पिपलाज के नाम दर्ज थी। वादी के परिवार का सजरा अनुसार माधोसिंह फोत , मगनकंवर फोत पत्नि माधोसिंह ,लादूसिंह पुत्र माधोसिह , गुमानकंवर पत्नि लादूसिह, हेमसिह पुत्र लादूसिंह भगवानसिंह पुत्र लादूसिंह , प्रभसिंह पुत्र लादूसिंह है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 के पूर्वजों ने मिलिभगत कर वादीगण की उक्त पुश्तैनी भूमि को स्वंय के नाम दर्ज करवा लिया जो अवैध है। जिसका धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्ती दिनांक 13.5.2016 को रिकॅार्ड दुरूस्त किया जाकर जर्ये नामान्तकरण सं. 1442 दिनांक 24.5. 2016 को वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की गई । प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करने पर आमादा है व काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। जिसके कारण

यह वाद पेश किया गया है। जिसे स्वीकार फरमाया जाकर जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये प्रतिवादीगण एंव उनके नौकर चाकर, हाली सिरी ,एजेन्ट , असाईनीज , उत्तराधिकारीगण , को सदैव के लिये पाबन्द किया जावें कि वे वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करें व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री फरीदखान व अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा ने पावर पेश किया । प्रतिवादीगण को जवाब हेतु दिनांक 27.10.2017 को अन्तिम मौका दिया गया। प्रतिवादीगण का जवाब पेश नहीं हुआ। पत्रावली आज केम्प कोर्ट पिपलाज में पेश हुयी। तहसीलदार सावर द्वारा मौका रिपोर्ट मय जमाबन्दी स. 2073–76 पेश की गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादग्रस्त पत्रावली के दस्तावेज व मौका रिपोर्ट एव जमाबन्दी का अवलोकन किया । तहसीलदार सावर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पिपलाज के खसरा नम्बर 2139 ,2159,2160 नामान्तकरण स. 1442 दिनांक 24.5.2016 द्वारा जमाबन्दी स. 2069–72 के खातास. 75 में गुमान कंवर पत्नि लादूसिंह, हेमसिह , भगवानसिंह,प्रभूसिंह पिता लादूसिंह कौमा राजपूत साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज हो गया । जो वर्तमान जमाबन्दी स. 2073–76 की खाता स. 146 में भी दर्ज है तथा वादीगण ने मौके पर उक्त खसरा नम्बर का कब्जा भी प्राप्त कर लिया है एवं वादीगण द्वारा ही काश्त किया जा रहा है। जिससे वादपत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण का वाद प्रेमाफेसाई होना जाहिर होता है।

अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर *वादग्रस्त भूमि ग्राम पिपलाज तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 75 के खसरा नम्बर 2139, 2159, 2160, कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 है. के अनुसार भूमि का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 15 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं एवं उनके नौकर चाकर, हाली सिरी ,एजेन्ट , असाईनीज , उत्तराधिकारीगण , वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नही करें व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।*

निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी